


न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 91/2020 (RCMS : 2020/ 00246) अनवान 1. सुभाषचन्द्र पुत्र दयालाराम 2. शोलेन्द्र कुमार दयालाराम जाति जाट निवासी चक 9एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर 2. इन्द्रा पत्नी सुरेन्द्र जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 3. विश्वजीत पुत्र साहबराम 4. परमजीत पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 9एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 5. सजन देवी पत्नी सुन्दरलाल 6. अनिल पुत्र सुन्दरलाल 7. कृष्णा सुत्री सुन्दरलाल 8. सुनीता पुत्री सुन्दरलाल जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 9. हसंराज पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी 9एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

11.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.डी.सोनी एवं अप्रार्थी संख्या 09 के अधिवक्ता श्री मनोहर लाल सहारण भी उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 07/2020 अनुवानी सुभाष चन्द्र आदि बनाम इन्द्रा देवी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.डी. सोनी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर पर स्थानीय विधायक का दबाव है और आने वाले नये उपखण्ड अधिकारी पर भी स्थानीय विधायक का दबाव रहेगा इसलिए  मामला अन्यत्र समक्ष न्यायालय में मुन्तकिल करना उचित होगा।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2020 अनुवानी सुभाषचन्द्र आदि बनाम इन्द्रा देवी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर पर वर्तमान विधायक का दबाव है और नये पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी, पर भी वर्तमान विधायक का दबाव रहेगा इसलिए उनका प्रकरण अन्यक्ष सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाये। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। विधायक के दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठीसन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। इसलिए इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर